न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 13/2014 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– दर्शनसिंह पुत्र जीतसिंह जाति रामगढिया निवासी चक 2 जे.एस.एम. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

राजस्थान राज्य।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री नायबसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 14.11.2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति. जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 24.06.2013, जिसमें अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 7/73 डीएम श्रीगंगानगर को निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 3/73 डीएम श्रीगंगानगर दिनांक 31.12.1998 तक नवीनीकृत था, जिस पर गन सं. 577/450 बोर दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण किये जाने संबंधी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 13.06.2012 में उल्लेख किया गया है कि अपीलांट द्वारा अपने लाईसेंस के आगामी वर्षो के लिये नवीनीकरण करवाने का आवेदन पत्र दिये जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 29.02.2012 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा नं. 204/96 अन्तर्गत धारा 332, 353 आईपीसी में चालान व फैसला दिनांक 21.03.98 सजा होने के कारण अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई। वरवक्त सुनवाई अपीलांट ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग) घड़साना के निर्णय दिनांक 21.03.1998 की प्रति प्रस्तुत की,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जिसमें प्रार्थी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ा गया है। इसी बिनाय पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का उक्त लाईसेंस सं0 3/73 डीएम.श्रीगंगानगर आगामी वर्षो के लिये नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये। परन्तु प्रार्थी अपीलांट का लाईसेंस वास्तव में 31.12.98 तक ही नवीनीकृत था, किन्तु प्रार्थी अपीलान्ट ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न शपथ पत्र दिनांक 30.1.12 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 30.1.12 तक नवीनीकृत होना बताया तथा आगामी तीन वर्षो के लिए नवीनीकरण चाहा गया । इस प्रकार प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा तथ्य छुपाकर 14 वर्ष 1 माह देरी से शस्त्र नवीनीकरण हेतु दिनांक 12.2.12 को आवेदन पत्र पत्र प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार प्रार्थी द्वारा विलम्ब के तथ्य को छुपाया जाना अभिलेख से ज्ञात होने पर अधीनस्थ न्यायालाय द्वारा प्रकरण पुनः रिव्यू कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2013 पारित किया, जिसमें उल्लेखित किया गया कि प्रार्थी ने दिनांक 31.12.98 के बाद अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया तथा इतनी लम्बी अवधि की देरी के लिए प्रार्थी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है । प्रार्थी ने तथ्य छुपा कर शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है । दिनांक 31.12.98 के बाद नवीनीकरण नहीं करवाने से उक्त लीाइसेंस स्वतः प्रभावहीन एवं निरस्त हो चुका है। इसके अलावा ग्रह ग्रुप (9) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 24.6.11 के अनुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण में 3 वर्ष की देरी होने पर अनुज्ञा पत्र निरस्त समझा जाने के निर्देशों के मध्यनजर रिव्यु आदेश दिनांक 24.06.2013 से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 7/73 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त कर उसमें दर्ज शस्त्र संख्या 577/450 जब्त किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री नायबसिंह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील मीमो में अंकित तथ्यों तथा संलग्न साक्ष्यों को ही अपनी बहस बतलाया।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री नायबसिंह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील मीमो में अंकित तथ्यों तथा संलग्न साक्ष्यों को ही अपनी बहस बतलाया। अभिभाषक अपीलांट का अपील मीमो अनुसार मुख्य कथन है कि प्रार्थी ने अपने लाईसेंस का नवीनीकरण करने के लिये विधिवत् आवेदन जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को किया था। लेकिन उसके विरूद्ध आपराधिक मामला पेण्डिग होने से आवेदन विचाराधीन रखा गया और अनुज्ञा पत्र निरस्त नहीं किया। आपराधिक मामला समाप्त होने पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अति. जिला मजिस्ट्रेट,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सूरतगढ ने प्रार्थी का अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने के आदेश दिनांक 13.06.2012 को दिये। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.06.2013 को अपने पूर्व आदेश दिनांक 13.06.2012 को रिव्यू करते हुए उसे निरस्त कर दिया। इसके लिये प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही अपना पक्ष रखने का समय दिया। प्रार्थी का अनुज्ञा पत्र पूर्व में दिनांक 13.6.12 को रिन्यू कर दिया था जिसे दिनांक 24.06.2013 को रिव्यू करते हुए अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया। अति.जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ ने जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के रिकार्ड को तलब कर नहीं देखा और शक के आधार पर अपने पूर्व के निर्णय को रिव्यू किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय दिनांक 13.6.2012 को 24.06.2013 को करीब एक वर्ष के बाद रिव्यू किया गया है, जो गलत । अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त करने के लिये जो प्रक्रिया अपनाई है, वह कानून सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें।

6. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा तथ्य छुपाकर 14 वर्ष 1 माह देरी से शस्त्र नवीनीकरण हेतु दिनांक 12.2.12 को आवेदन पत्र पत्र प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार प्रार्थी द्वारा विलम्ब के तथ्य को छुपाया जाना अभिलेख से ज्ञात होने पर अधीनस्थ न्यायालाय द्वारा प्रकरण में रिव्यू कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2013 पारित कर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 7/73 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त कर उसमें दर्ज शस्त्र संख्या 577/450 जब्त किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिव्यु आदेश दिनांक 24.6.13 में उल्लेखित तथ्य अत्यन्त ही गंभीर प्रकृति के हैं। इसमें न्याय लिपिक की संलिप्तता सिद्ध होने पर उसके विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही करने के आदेश भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 29.2.12 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुआ, जिसमें अपीलांट को दोषी मानते हुए परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ा गया है तथा 2000/– के मुचलका एक वर्ष की अवधि के लिये पाबन्द किया गया है। गृह (ग्रुप–9) विभाग, राज. सरकार के परिपत्र दिनांक 24.06.2011 के अनुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण में तीन वर्ष से अधिक देरी होने पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त समझा जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में मुख्य आधार यह लिया है कि अपीलान्ट के विरूद्ध आपराधिक मामला पेण्डिग होने से आवेदन विचाराधीन रखा गया और अनुज्ञा पत्र निरस्त नहीं

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया। आपराधिक मामला समाप्त होने पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अति. जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ ने प्रार्थी का अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने के आदेश दिनांक 13.06.2012 को दिये। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.06.2013 को अपने पूर्व आदेश दिनांक 13.06.2012 को रिव्यू करते हुए उसे निरस्त कर दिया। इसके लिये प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही अपना पक्ष रखने का समय दिया।

8. हम विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील में लिये गये आधार से सहमत नहीं हैं क्योंकि शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.3.98 तक पूर्व में नावीनीकृत था, उक्त तिथि के पश्चात वर्ष 1998 से वर्ष 2012 के दरम्यान नवीनीकरण के आवेदन पत्र को प्रस्तुत किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपीलान्ट द्वारा विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में भी कोई युक्तियुक्त कारण हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किये हैं । हमारे विचार से अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण रिव्यू कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई गलती नहीं की है, क्योंकि इस कूटरचित कार्यवाही में कार्यालय के न्याय लिपिक की संलिप्तता सिद्ध होने पर उसके विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही करने के आदेश भी दिये गये हैं। विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने भी उक्त तथ्यों को दोहराते हुए गृह विभाग के परिपत्र दिनांक 24.6.11 में दिये प्रावधानों के अनुरूप अपीलाधीन आदेश को उचित बतलाया है, जिससे हम सहमत हैं। अभिभाषक अपीलांट ने भी अन्य कोई साक्ष्य आदि हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर विचार किया जा सके। व्यापक लोक शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश उचित है।

9. उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हम अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ के अपीलाधीन रिव्यु आदेश दिनांक 24.06.2013 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

10. तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 14.11.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर